पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्रियों के समुचित भण्डार बनाने हेतु सहायता की समतुल्य योजना

पुस्तकों के चयन तथा राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों के लिए दिशा निर्देश, 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी

- प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और गांवों में पुस्तकालय आंदोलन का प्रसार करना और लोगों में अध्ययन अभिरूचि को विकसित करना है । पुस्तकालयों के चयन और पुस्तकों के लिए सहायता के समय यह उद्देश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
- चूँकि प्रत्येक राज्य के उद्देश्य की शर्ते भिन्न होती हैं (जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न विषयों के साहित्य की उपलब्धता, साक्षरता दर, पुस्तकालय सेवा का विकास और लोगों की पठन अभिरूचि), प्रतिष्ठान सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों की खरीद के लिए कोई निर्धारित मापदंड तय नहीं करता है । तथापि, निम्नलिखित अनुपात दिशा-निर्देश के लिए निर्धारित है :

i)	कला एवं साहित्य	20%
ii)	सामाजिक विज्ञान, इतिहास और अन्य	15%
iii)	दर्शन एवं धर्म	05%
iv)	साधारण और संदर्भ पुस्तकें	20%
v)	लोकप्रिय विज्ञान	20%
vi)	नव शिक्षितों के लिए साहित्य समेत बाल साहित्य	20%

(उपुर्यक्त निर्देशित प्रतिशत, विशेष रूप से V और VI को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को ध्यान में रखकर, नमनीय होना चाहिए ।).

- प्रतिष्ठान के केन्द्रीय पुस्तक चयन समिति द्वारा केन्द्रीय रूप से अंग्रेजी की पुस्तकें मुख्य रूप से चयनित की जाएंगी । राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें खरीदी जाएंगी । राष्ट्रीय एकता के हित में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों को चाहिए कि वे 20% पुस्तकें हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों से खरीदें । उसी दृष्टि से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुरस्कृत अनुदित पुस्तकें जैसे नेशलन बुक ट्रस्ट द्वारा आदान-प्रदान श्रृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकें चयनित पुस्तकों की सूची में होनी चाहिए ।
- चूँकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के अनेक संगठन अच्छे साहित्य के प्रकाशन में लगे हैं, यह उम्मीद की जाती है कि सरकारी ओर अर्धसरकारी संगठनों जैसे प्रकाशन विभाग, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, NCERT राज्य / साहित्य / ग्रंथ अकादमियों के प्रकाशनों से कुछ प्रतिशत किताबें चयनित की जाएं ।
- चूँकि ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालयों को नव शिक्षितों और सीमित शिक्षा प्राप्ता लोगों की जरूरतों को पूरा करना होता है, कुछ पुस्तकें उनके लिए भी चयनित की जानी चाहिए ।
- उक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर पुस्तकों और पुस्तकें प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों का चयन राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा किया जाएगा । यदि आवश्यक हो तो वह समिति एक उप समिति गठित कर सकती है जिसे पुस्तक चयन समिति कहा जाएगा । विषय विशेषज्ञ और पुस्तकालयों को समिति या उप समिति के साथ आवश्यकतानुसार संबद्ध किया जा सकता है।

▪	ISBN नम्बर के साथ प्रत्यक्ष जाँच के बाद प्रत्येक पुस्तक का चयन किया जाएगा और मूल्य सत्यापन के लिए उसकी नमूना प्रति रखी जाएगी । यदि नमूना प्रतियाँ प्राप्त करना संभव नहीं हो तो चयनकर्ता अन्य पुस्तक चयन उपकरण, जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों की नवीनतम पुस्तक सूची, मानक अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं की सहायता ली जा सकती है ।
▪	पुस्तकों को जमा करने के लिए विज्ञापन जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका व्यापक प्रसार हो । विज्ञापन की एक प्रति संबंधित प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेता संघों को भेजी जा सकती है ।
▪	चयन के लिए प्राप्त पुस्तकें एक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए । पुस्तक चयन रजिस्टर में पुस्तक की विस्तृत ग्रंथसूची का वर्णन, पुस्तक जमा करने वाले पक्ष, जमा करने की तिथि, चयन का परिणाम, टिप्पणियाँ इत्यादि होनी चाहिए ।
▪	सामान्यत: एक सत्र में प्रस्तुत चयन समिति द्वारा किसी प्रकाशक की 20 से अधिक शीर्षकों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
▪	पुस्तक चयन समिति या उप समिति द्वारा चयनित पुस्तकों का औपचारिक अनुमोदन राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा किया जाना चाहिए । राज्य पुस्तकालय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिनों पहले सूचना भेजी जानी चाहिए ।
▪	राज्य पुस्तकालय समिति या पुस्तक चयन समिति के सदस्यों द्वारा लिखित, संपादित या प्रकाशित पुस्तकों का सामान्यत: उनके कार्यकाल के दौरान चयन नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में उक्त समिति या समितियों के सदस्य उस चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं जिस पुस्तक से वे लेखक, संपादक का या प्रकाशक के रूप में जुड़े हों ।
▪	सामान्यत: कीमती पुस्तकों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी चयनित पुस्तक, जिसका मूल्य 2,000/- रूपये से अधिक हो, उसके लिए आदेश देने से पहले उचित कारण को दर्शाते हुए आर.आर.आर.एल.एफ. से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा। विदेशी पुस्तकें, यदि चयनित की गयी हो तो उसका मूल्य भारतीय मुद्रा (रूपये) में होना चाहिए। चयन वर्ष को लेकर पिछले दो वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों को वरीयता दी जानी चाहिए।
▪	पुस्तकों की कीमत जाँच करते सावधानी बरती जानी चाहिए । पुस्तकें जमा करने के लिए सूचना या विज्ञापन देते हुए यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि पुस्तक की मुद्रित कीमत ही उचित कीमत मानी जाएगी, यदि चयन के लिए जमा करते समय भिन्न कीमत नहीं दी जाती है और यह कीमत पुस्तक जमा करने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगी । बढ़ी कीमत का दावा पुस्तक के चयन के बाद नहीं किया जा सकता। पुस्तकें जिन पर कीमत मुद्रित नहीं है और जिनकी कीमत स्लीप लगाकर या रबर स्टाम्प से दर्शायी गयी है, उनका चयन नहीं किया जाएगा । पुस्तक चयन कर्ताओं का मार्ग दर्शक सिद्धांत “कम कीमत पर अधिकाधिक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ का अध्ययन करें” होना चाहिए ।
▪	प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रकार से श्रेणी बद्ध रूप से छूट के साथ किताबें खरीदी जाएंगी

i)	1 से 10 प्रतियाँ	10% छूट
ii)	11 से 25 प्रतियाँ	15% छूट
iii)	26 से 100 प्रतियाँ	20% छूट
iv)	101 से 200 प्रतियाँ	25% छूट
v)	201 से 500 प्रतियाँ	30% छूट
vi)	501 से ऊपर	35% छूट

ऐसे मामलों पर विशेष विचार किया जा सकता है जब संबंधित संस्थान या व्यक्ति प्रमाणित कर दे कि उनकी मूल्य निर्धारण नीति के कारण वे किसी दूसरे पक्ष को निर्धारित दर से अधिक की छूट नहीं दे सकते । छूट की दर को ध्यान में रखकर

	पुस्तकों की सूची तैयार की जाए । उपलब्ध निधि या चिह्नित निधि की उपलब्धता के अन्तर्गत दो भाषाओं में और बहुभाषी राज्यों में पृथक सूचियाँ तैयार की जानी हैं ।
▪	पुस्तकों की सूची तैयार करते समय आवश्यक ग्रंथ सूची विवरण दर्ज किया जाना चाहिए जैसे पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम और पता, विषय, प्रकाशन वर्ष, संस्करण (पेपर बैक या हार्ड कवर), ISBN नं. और मूल्य पुस्तक सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर चयन कर्ताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए जिससे चयनित पुस्तकों की प्रामाणिकता दिख सके ।
▪	शहरी या ग्रामीण पुस्तकालयों के चयन में सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चयनित पुस्तकालय वास्तव में कार्यरत हैं । अपंजीकृत पुस्तकालयों के चयन को नजरांदाज किया जाना चाहिए । सूची में चयनित पुस्तकालयों का पूरा नाम और पता होना चाहिए ।
▪	अंतिम चयन के बाद यथाशीघ्र पुस्तक जमा करने वाले पक्ष को चयन का परिणाम सूचित किया जाना चाहिए ।
▪	ऐसी पुस्तकों के चयन से बचना चाहिए जो राजनैतिक, साम्प्रदायिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाने में मददगार हों ।
▪	राज्य पुस्तकालय समिति जो इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन में दिक्कत महसूस करती हों, वे सलाह के साथ प्रतिष्ठान से संपर्क कर सकती हैं ।